निर्बाध रहे जल प्रवाह, तय समय पर पूर्ण हों विकास कार्य : क्षेत्रीय विकास आयुक्त

■ चंबल संचित क्षेत्रीय विकास आयुक्त ने की सीएडी के कार्यों, योजनाओं की समीक्षा

कोटा, (निसं)। चंबल संचित क्षेत्रीय विकास आयुक्त एवं संभागीय आयुक्त पीयूष समारिया ने शनिवार को सीएडी सभागार में नहरों में जल प्रवाह, विकास एवं रखरखाव कार्यों, बजट घोषणाओं एवं विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि जल प्रवाह निर्बाध जारी रहे, यह सुनिश्चित करें। बजट घोषणाओं की क्रियान्विति समयबद्धता के साथ हो ताकि नहरी तंत्र का समुचित लाभ सिंचित क्षेत्र को मिल सके।

क्षेत्रीय विकास आयुक्त ने वर्तमान जल प्रवाह की जानकारी लेते हुए निर्देश दिए कि इस दौरान सघन निगरानी रखी जाए और आवश्यकता अनुसार पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने वित्तीय वर्ष वार मुख्यमंत्री बजट घोषणाओं की गहनता से समीक्षा की और प्रत्येक कार्य की मौजूदा स्थिति, कार्य पूर्णता की स्थिति जानी। अपूर्ण कार्यों का कारण भी जाना। बजट घोषणाओं के कार्यों की पूर्णता की स्थिति पर संतोष जताते हुए उन्होंने निर्देश दिए की कार्यों को तय समय पर पूर्ण किया जाए ताकि अवधि बढ़ने से होने वाली दिक्कतों से बचा जा सके।

चंबल संचित क्षेत्रीय विकास आयुक्त पीयूष समारिया ने नहरों में जल प्रवाह योजना की समीक्षा की।

उन्होंने नहरी तंत्र को मजबूत करने के लिए किए जा रहे पक्की लाइनिंग, जीर्णोद्धार, खेत सुधार कार्य, पक्के धोरे निर्माण इत्यादि सभी कार्यों की विस्तार से जानकारी ली। विभागीय योजनाओं अंतर्गत किए गए नहरों के रखरखाव, जीर्णोद्धार, सिंचाई शुल्क वसूली इत्यादि कार्यों के बारे में भी जाना। निर्देश दिए कि निर्धारित लक्ष्यों को शत प्रतिशत पूर्ण किया जाए। संबंधित अधीक्षण अभियंताओं एवं अधिशासी अभियंताओं ने कार्य के संबंध में अद्यतन जानकारी प्रस्तुत की। सिंचित क्षेत्र अंतर्गत कृषि विकास एवं विस्तार कार्यों की भी जानकारी ली।

परियोजना निदेशक जया मेहरा ने फार्म पॉन्ड, तारबंदी, महिला कृषक प्रशिक्षण, गोवर्धन जैविक उर्वरक, कृषि यंत्र, पाइपलाइन इत्यादि के लक्ष्य एवं उपलब्धि के बारे में बताया। संपर्क एवं लाइट्स पोर्टल पर मौजूदा स्थिति से भी अवगत कराया। बैठक में अतिरिक्त क्षेत्रीय विकास आयुक्त कुशल कोठारी सहित सीएडी के अधिकारी उपस्थित रहे।

धोखाधड़ी का मामला दर्ज

छबड़ा (निसं)। मोहसीन गारलिक कम्पनी छीपाबड़ौद के प्रोपराईटर यासिर खान ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि उसकी फर्म वर्तमान में छबडा मंडी में कृषि जिंस की खरीद फरोख्त का व्यापार करती हैं।

उसके पास ज्योतिबा परशन ट्रेडर्स ढाणे मुम्बई प्रोपराईटर शिवा व नूजत ट्रेडिंग कम्पनी ढाणे मुम्बई प्रोपराईटर शाहरूख शेख आए और कहा कि हम मुम्बई में लहसुन का व्यापार करते हैं। इस पर उसके व दोनों फर्मा के मध्य लहसुन की खरीद फरोख्त का मौखिक इकरार हुआ।

जिस पर उसने विभिन्न तरीखो में 57 लाख 51 हजार 388 रूपए की लहसुन से भरा ट्रक ज्योतिबा परशन ट्रेडर्स मुम्बई को भिजवा दिया। फर्म द्वारा लगभग 45 लाख रूपए का भुगतान कर दिया तथा शेष राशि लगभग 12 लाख रूपए का भुगतान आज तक नहीं किया गया।

इसी प्रकार नूजत ट्रेडिंग कम्पनी को लगभग 18 लाख रूपए का माल भिजवाया। जिसमें से विभिन्न तरीखों में 13 लाख रूपए का भुगतान किया तथा पांच लाख रूपए का भुगतान आज तक नही किया। इस प्रकार दोनो फर्मां ने धोखाधडी कर लगभग 17 लाख रूपए हड़प कर लिए हैं।

सार-समाचार

हत्या के तीन दोषियों को आजीवन कारावास

कोटा, (निसं)। मारपीट कर युवक की हत्या के करीब डेढ़ साल पुराने मामले में एडीजे क्रम-1 न्यायालय ने सुनवाई करते हुए मामले में पकड़े गये तीन आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक को 26500 के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अपर लोक अभियोजक रामदयाल शाक्यवाल ने बताया कि 26 मार्च 2024 को परिवादिया सुनीता ने थाना कुन्हाड़ी में रिपोर्ट दर्ज कराई। परिवादिया ने रिपोर्ट में कहा था कि उसका भाई सुनील उर्फ कागला की होली के दिन सुमित व गोलू से कहासुनी हो गई थी। रिपोर्ट में कहा कि 25 मार्च की रात्रि को उसका भाई सुनील घर की तरफ आ रहा था, तो रास्ते में सुमित, गोलू, पीयूष व अन्य ने उसके भाई के साथ मारपीट की एवं उसके भाई पर लोहे के पाईप व लाठियों से हमला कर दिया। हमले में घायल उसके भाई को उपचार के लिये अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने परिवादिया की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया एवं मामले में कार्यवाही करते हुए सुमित, गोलू एवं पीयूष को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मामले में अनुसंधान करते हुए तीनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। मामलें में 15 गवाहों के बयान दर्ज कराये गये है।

महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या की

कोटा, (निसं)। अनंतपुरा थाना इलाके में महिला ने घर में फांसी का फन्दा लगाकर सुसाईड कर लिया। जानकारी के अनुसार सामने आया कि दोनों पति-पत्नी के बीच आए दिन झगड़े होते थे। अनंतपुरा थानाधिकारी भुपेन्द्र सिंह ने बताया कि रेखा मेघवाल (32) ने घर में फांसी लगाकर सुसाईड कर लिया। मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। थानाधिकारी ने बताया कि मृतका के पीहर पक्ष ने मामले की जांच की मांग करते हुए शिकायत दी है। पीहर पक्ष की शिकायत पर मामला दर्ज कर मामले में अनुसंधान किया जा रहा है।

556 वां प्रकाश गुरूपर्व मनाया

कोटा, (निसं)। गुरु नानक देव महाराज के प्रकाश पूरब की खुशी में शनिवार को प्रभात फेरी का निर्विघ्नता के साथ समापन हुआ। गुरु नानक देव महाराज के संदेश को दिया गया, उनके शबद गाए गए। समूह संगत एवं प्रबंधक कमेटी श्री गुरु सिंह सभा कोटा जंक्शन के तत्वावधान में गुरुनानक देव महाराज का 556वां प्रकाश गुरपुरब (गुरू पर्व) भव्य रुप में मनाया जा रहा है।

सभा के अध्यक्ष अमरजीत सिंह माखीजा ने बताया कि गुरपुरब के दौरान कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, जिसके तहत 2 नवम्बर को नगर कीर्तन निकाला जाएगा। नगर कीर्तन को लेकर शहर तैयारियां की जा रही है, सजावट हो रही है, गुरूद्वारे को सजा दिया गया है। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के प्रबन्धक अमरप्रीत सिंह मखीजा ने बताया कि आज रविवार को भव्य नगर कीर्तन निकाला जाएगा। दोपहर 1 बजे गुरुद्वारा साहिब स्टेशन से नगर कीर्तन प्रारंभ होगा जो स्टेशन क्षेत्र के मुख्य मार्गो से होता हुआ पुनः गुरुद्वारा साहिब पर सम्पन्न होगा।

जिला कलेक्टर ने लंबित राजस्व प्रकरणों के निस्तारण के निर्देश दिए

कोटा, (निसं)। जिला कलेक्टर पीयूष समारिया ने शनिवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित उपखंड अधिकारियों एवं राजस्व अधिकारियों की बैठक में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम की तैयारियों के साथ ही राजस्व सम्बन्धी आमजन के प्रकरणों के निस्तारण की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सभी उपखंड अधिकारी (ईआरओ) यह सुनिश्चित करें कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान कोई भी पात्र नागरिक छूट न जाए और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो।

जिला कलेक्टर ने कहा कि 4 नवम्बर से 4 दिसम्बर तक गणना प्रपत्र भरे जाएंगे। बीएलओ प्रत्येक मौजूदा मतदाता को घर-घर जाकर गणना प्रपत्र (ईएफ) वितरित करेंगे और भरा हुआ प्रपत्र वापस प्राप्त करेंगे। मतदाता को अपने नाम या अपने रिश्तेदार के नाम के साथ मिलान/लिंक करने में मदद करेंगे जो कि 2002 में आयोजित विगत एसआईआर में थे। उन्होंने कहा कि सभी बीएलओ अपना आईडी कार्ड साथ रखें। उन्होंने सभी उपखंड अधिकारियों (ईआरओ) को निर्देश दिए कि बीएलओ से प्रतिदिन गणना प्रपत्र भरने में हुई प्रगति की रिपोर्ट ली जाए। जिला कलेक्टर ने सभी ईआरओ को निर्देश दिए कि जिन विधानसभा क्षेत्रों में वोटर्स मैपिंग का कार्य बाकी है वहां ईआरओ बीएलओ को निर्देश दें और वोटर्स मैपिंग का कार्य समय पर पूरा करवाएं।

जिला कलेक्टर ने कहा कि गणना प्रपत्र भरने का कार्य शुरू होने के साथ ही बीएलए की ट्रेनिंग भी करवाई जाए। उन्होंने कहा कि वृद्ध, बीमार, दिव्यांग आदि श्रेणी के मतदाताओं की गणना प्रपत्र भरने में सहायता के लिए लगाए जाने वाले वॉलिंटियर्स को भी प्रशिक्षण दिया जाए। उन्होंने कॉलेजों में ऑनलाइन गणना प्रपत्र भरने के बारे में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने तथा ब्लॉक स्तर पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से एसआईआर को लेकर चर्चा करने का सुझाव दिया। साथ ही, जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर हेल्प डेस्क स्थापित करने के बारे में जानकारी ली। जिला कलेक्टर ने बैठक में उपस्थित उपखंड अधिकारियों एवं तहसीलदारों से पत्थरगढ़ी, सीमाज्ञान, प्राइमरी डिक्री सहित अन्य राजस्व से संबंधित प्रकरणों की पेंडेंसी खत्म कर आमजन को राहत देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि फॉलोअप शिविरों में भी लंबित प्रकरणों के निस्तारण का कार्य किया जाए। जिला कलक्टर ने उपखंड अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य आपदा मोचन निधि के तहत स्कूल एवं अन्य भवनों की मरम्मत के कार्य समय पर एवं गुणवत्तापूर्ण हों। उन्होंने कहा कि संबंधित अभियंता मरम्मत कार्यों की समय-समय पर मॉनिटरिंग करें एवं उपयोग में ली जा रही निर्माण सामग्री की जांच करें। उन्होंने कहा कि सभी उपखंड अधिकारी उपापन समिति की बैठक समय पर आयोजित कर टेंडर प्रक्रिया की तैयारी पूरी कर लें ताकि तकनीकी स्वीकृति मिलते ही निविदा आमंत्रित की जा सके। बैठक में जनजातीय गौरव वर्ष एवं सरदार/150 के तहत नवंबर माह में विभिन्न विभागों द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में भी चर्चा की गई। बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन वीरेन्द्र सिंह यादव, अतिरिक्त जिला कलक्टर सीलिंग कृष्णा शुक्ला, अतिरिक्त जिला कलक्टर शहर अनिल कुमार सिंघल, एसडीएम रामगंजमंडी, एसडीएम दीगोद, एसडीएम लाडपुरा, सहायक कलेक्टर कोटा सहित तहसीलदार एवं अन्य राजस्व अधिकारी उपस्थित थे।

सनाढ्य ब्राह्मण सभा समिति का अन्नकूट एवं दीपावली स्नेह मिलन समारोह संपन्न

■ 'सामाजिक एकता और संस्कारों का संगम बना आयोजन'

कोटा, (निसं)। महावीर नगर तृतीय स्थित सनाढ्य ब्राह्मण सभा समिति के तत्वावधान में अन्नकूट एवं दीपावली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर समाजजनों ने परिवार सहित जादूगर शो, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और महाप्रसादी का आनंद उठाया।

समारोह की अध्यक्षता समाजसेवी जटाशंकर शर्मा ने की, जबकि मुख्य अतिथि विधायक संदीप शर्मा और विशिष्ट अतिथि राजेश कृष्ण बिरला रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें समाजसेवी जटाशंकर शर्मा ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। इसके बाद प्रसिद्ध जादूगर अशोक शर्मा के रोमांचक जादू शो ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। मंच पर प्रस्तुत हनुमान जी, भोलेनाथ, राधा-कृष्ण की मनमोहक झांकियों और राजस्थानी लोकनृत्य ने दर्शकों का दिल जीत लिया। कार्यक्रम के अंत में सभी ने अन्नकूट महाप्रसादी का स्वाद लिया।

सनाढ्य ब्राह्मण सभा समिति का अन्नकूट एवं दीपावली स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया।

विधायक संदीप शर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि सामाजिक एकत्रीकरण और मेल-मिलाप के लिए ऐसे स्नेह मिलन अत्यंत आवश्यक हैं। इनसे समाज में एकता, संवाद और आत्मीयता का वातावरण बनता है। हमें समाज के विकास के लिए संगठित होकर कार्य करना चाहिए। विशिष्ट अतिथि राजेश कृष्ण बिरला ने कहा सनाढ्य समाज का इतिहास त्याग, सेवा और संस्कारों से भरा हुआ है। इस समाज के बंधु सदैव ज्ञान, संस्कृति और सनातन मूल्यों के संवाहक रहे हैं। हमें इनके समर्पण से प्रेरणा लेनी चाहिए। समिति अध्यक्ष ओमप्रकाश टंकारिया, महामंत्री मनीष तिवारी, कोषाध्यक्ष चंद्र कुमार पाठक, लोकेश शर्मा सहित कार्यकारिणी सदस्यों ने अतिथियों का माल्यार्पण और दुपट्टा ओढ़ाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में विभिन्न ब्राह्मण संगठनों के प्रतिनिधि, समाजसेवी और जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। स्नेह, संस्कृति और एकता से ओतप्रोत यह आयोजन समाज में नई ऊर्जा और प्रेरणा का संचार कर गया। संचालन डॉ शीला तिवारी ने किया।

अवैध मादक पदार्थ सहित गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। नारकोटिक्स टीम ने मादक पदार्थ विरोधी अभियान जारी रखते हुए मुखबीर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए अवैध मादक पदार्थ 190.00 ग्राम एमडी (मेफेड्रोन) सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। उप नारकोटिक्स आयुक्त नरेश बुंदेल के निर्देशन में की गई। उप नारकोटिक्स आयुक्त नरेश बुंदेल ने बताया कि मुखबीर से सूचना मिली कि बिना नंबर प्लेट वाली काले रंग की हीरो स्प्लेंडर बाइक पर सवार व्यक्ति लगभग 150 से 200 ग्राम मादक पदार्थ ले जा रहा है। उक्त सूचना पर सीबीएन पी एंड आई सेल भवानीमंडी के अधिकारियों की एक टीम गठित की गई और टीम को रवाना किया गया। गठित टीम ने संदिग्ध मार्ग पर कड़ी निगरानी रखी गई। संदिग्ध बाइक पर 2 लोगों को आते देख निवारक दल ने उन्हें रुकने का इशारा किया। बाईक चालक ने मोटरसाइकिल रोक दी। उप नारकोटिक्स आयुक्त ने बताया कि टीम ने मौके पर बाइक की तलाशी ली और उक्त बाईक के टूलबॉक्स से कुल 190.00 ग्राम अवैध एमडी पाउडर बरामद किया गया।

आपराधिक मामलों के बारे में घोषणा — फार्मेट सी-1

(वर्ष 2011 की रिट याचिका (सिविल) सं. 536 में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 25 सितम्बर, 2018 के निर्णय के अनुसार) (पब्लिक इंट्रेस्ट फाउंडेशन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य)

अभ्यर्थी का नाम और पता : प्रमोद जैन, निवासी ग्राम बटावदा, तहसील व जिला बारां (राज.)
राजनैतिक दल का नाम : इण्डियन नेशनल कांग्रेस (I.N.C.)
(निर्दलीय अभ्यर्थी यहां ''निर्दलीय'' लिखें) : लागू नहीं होता
निर्वाचन का नाम : 193 - अन्ता
निर्वाचन क्षेत्र का नाम : 193 - अन्ता, राजस्थान

मैं प्रमोद जैन (अभ्यर्थी का नाम), उपर्युक्त निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, सार्वजनिक सूचना हेतु अपने आपराधिक पूर्ववृत्त के बारे निम्नलिखित विवरणों की घोषण करता हूँ :-

(क) लंबित आपराधिक मामले

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	मामले की सं. एवं तारीख	मामले (मामलों) की स्थिति	संबंधित अधिनियमों की धारा (धाराएं) एवं अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण
1	लागू नहीं है	पुलिस थाना कोतवाली, बारां एफ आई आर नं. 08/2024 दिनांक 03.01.2024 पुलिस थाने में अनुसंधानरत नोट : एफआईआर में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली के आदेश आई.ए. नं. 149417/2025 दिनांक 16.07.2025 से गिरफ्तारी पर रोक लगी हुई है एवं अनुसंधान संबंधित थाने में लम्बित है।		420, 384, 413, 426, 379, 120बी IPC And 4/21 MMRD ACT धोखाधड़ी करके सम्पत्ति हासिल करना एवं खान और खनिज का उल्लंघन कर परिवहन करना।
2	लागू नहीं है	पुलिस थाना कोतवाली, बारां एफ आई आर नं. 268/2024 दिनांक 02.04.2024 पुलिस थाने में अनुसंधानरत नोट : एफआईआर में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली के आदेश आई.ए. नं. 149417/2025 दिनांक 16.07.2025 से गिरफ्तारी पर रोक लगी हुई है एवं अनुसंधान संबंधित थाने में लम्बित है।		341, 382, 506, 120B IPC चोरी करने के उद्देश्य से चोरी करके भाग जाना।
3	लागू नहीं है	पुलिस थाना कोतवाली, बारां एफ आई आर नं. 271/2024 दिनांक 02.04.2024 पुलिस थाने में अनुसंधानरत नोट : एफआईआर में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली के आदेश आई.ए. नं. 149417/2025 दिनांक 16.07.2025 से गिरफ्तारी पर रोक लगी हुई है एवं अनुसंधान संबंधित थाने में लम्बित है।		384, 34 IPC जबरन वसूली करना।
4	लागू नहीं है	पुलिस थाना कोतवाली, बारां एफ आई आर नं. 272/2024 दिनांक 02.04.2024 पुलिस थाने में अनुसंधानरत नोट : एफआईआर में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली के आदेश आई.ए. नं. 149417/2025 दिनांक 16.07.2025 से गिरफ्तारी पर रोक लगी हुई है एवं अनुसंधान संबंधित थाने में लम्बित है।		420, 409, 467, 468, 471, 120बी IPC चोरी की सम्पत्ति का व्यापार करना।
5	लागू नहीं है	पुलिस थाना कोतवाली, बारां एफ आई आर नं. 509/2024 दिनांक 28.06.2024 पुलिस थाने में अनुसंधानरत नोट : एफआईआर में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली के आदेश आई.ए. नं. 149417/2025 दिनांक 16.07.2025 से गिरफ्तारी पर रोक लगी हुई है एवं अनुसंधान संबंधित थाने में लम्बित है।		420, 409, 467, 468, 408, 379, 120बी IPC धोखाधड़ी करके सम्पत्ति हासिल करना।
6	लागू नहीं है	पुलिस थाना अन्ता एफ आई आर नं. 02/2024 पुलिस थाने में अनुसंधानरत दिनांक 01.01.2024 नोट : एफ आई आर में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली के आदेश आई.ए. नं. 149417/2025 दिनांक 16.07.2025 से गिरफ्तारी पर रोक लगी हुई है एवं अनुसंधान संबंधित थाने में लम्बित है।		420, 406, 467, 468, 471, 120बी IPC धोखाधड़ी करके सम्पत्ति हासिल करना।
7	लागू नहीं है	आई.ए. नं. 149417/2025 दिनांक 16.07.2025 नोट : एफ आई आर में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली के आदेश से गिरफ्तारी पर रोक लगी हुई है एवं अनुसंधान संबंधित थाने में लम्बित है।		420, 467, 468, 120बी IPC धोखाधड़ी करके सम्पत्ति हासिल करना।
8	लागू नहीं है	पुलिस थाना अन्ता एफ आई आर नं. 205/2024 दिनांक 08.04.2024 पुलिस थाने में अनुसंधानरत		143, 283, 188 IPC सार्वजनिक मार्ग में बाधा डालने के सम्बन्ध में।

(ख) आपराधिक मामलों के लिए दोष सिद्धि के मामलों के संबंध में विवरण

क्र.सं.	न्यायालय का नाम एवं आदेश (शो) की तारीख (खें)	अपराध (अपराधों) और अधिरोपित दण्ड का विवरण	अधिकतम अधिरोपित दंड
1	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
2	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
3	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
4	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
5	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
6	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
7	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
8	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

राज्य सभा के निर्वाचन या विधानसभा सदस्यों द्वारा विधान परिषद के निर्वाचन के मामले में, निर्वाचन क्षेत्र के नाम के स्थान पर संबंधित निर्वाचन का उल्लेख करें।

आपराधिक मामलों के बारे में घोषणा — फार्मेट सी-1

वर्ष 2011 की रिट याचिका (सिविल) सं. 536 में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 25 सितंबर, 2018 के निर्णय के अनुसार) (पब्लिक इंट्रेस्ट फाउंडेशन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य)

अभ्यर्थी का नाम और पता : नरेश कुमार मीणा, ग्राम नया गांव पोस्ट ननावता तहसील अटरु जिला बारां
राजनैतिक दल का नाम : निर्दलीय
निर्वाचन का नाम : राजस्थान विधानसभा उपचुनाव 2025
निर्वाचन क्षेत्र का नाम : अन्ता (193)

मैं, नरेश कुमार मीणा उपर्युक्त निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, सार्वजनिक सूचना हेतु अपने आपराधिक पूर्ववृत्त के बारे में निम्नलिखित विवरणों की घोषणा करता हूँ :-

(क) लंबित आपराधिक मामले

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	मामले की सं. एवं तारीख	मामले की स्थिति	संबंधित अधिनियमों की धारा (धाराएं) एवं अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण
1	NA	FIR No. 294/2025 पुलिस थाना महावीर नगर कोटा	प्रकरण में अनुसंधान जारी है	धारा 196 (1) (a), 352 BNS
2	NA	FIR No. 299/2025 पुलिस थाना सदर बून्दी	प्रकरण में अनुसंधान जारी है	धारा 196 (1) (a), 352 BNS
3	NA	FIR No. 202/2025 पुलिस थाना रायशर जयपुर ग्रामीण	प्रकरण में अनुसंधान जारी है	धारा 191 (2) 190, 125 (a), 132 BNS
4	NA	FIR No. 504/2025 पुलिस थाना झालावाड़	प्रकरण में अनुसंधान जारी है	धारा 121 (1) 132, 352, 57, 182 (2) BNS
5	न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश sc / st (अ.नि.) प्रकरण टोंक 31/2025	FIR No. 166/2024 पुलिस थाना नगर फोर्ट जिला टोंक	न्यायालय में विचाराधीन है	धारा 115(2), 121(1), 132, 223 (ख) 351(2), 109(1), 126 (2), 174 BNS व धारा 126(1)ए 126(2), 131, 132, 135 क (1) (ग) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, 1951, 1989
6	न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश sc / st (अ.नि.) प्रकरण टोंक 26/2025	FIR No. 167/2024 पुलिस थाना नगर फोर्ट जिला टोंक	न्यायालय में विचाराधीन है	धारा 49, 109(2), 15(2), 121(1), 132, 174, 190, 191(2), 191(3), 195(1), 221, 223 (ख), 285, 324 (5), 326 (छ), 351(2), 121(2), 311 BNS व धारा 3 लोक सम्पत्ति हानि निवारण अधिनियम 184 व धारा 8 ख, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956
7	NA	FIR No. 169/2024 पुलिस थाना नगर फोर्ट जिला टोंक	प्रकरण में अनुसंधान जारी है	233(1), 132, 351 (2) BNS व धारा 3 लोक प्रतिनिधि अधिनियम, 1951
8	NA	FIR No. 298/2024 पुलिस थाना नयापुरा जिला कोटा	प्रकरण में अनुसंधान जारी है	धारा 143, 332, 353, 353, 504, 506 IPC
9	NA	FIR No. 136/2024 पुलिस थाना आरकेपुरम जिला कोटा	प्रकरण में अनुसंधान जारी है	धारा 143, 188 BNS
10	NA	FIR No. 159/2023 पुलिस थाना मोठपुर जिला बारां	प्रकरण में अनुसंधान जारी है	धारा 143, 435, 283, 427 IPC
11	NA	FIR No. 560/2023 पुलिस थाना कोतवाली जिला बारां	प्रकरण में अनुसंधान जारी है	धारा 147, 148, 149, 332, 353, 283, 117, 506 IPC व 3 sc / st
12	NA	FIR No. 572/2023 पुलिस थाना कोतवाली जिला बारां	प्रकरण में अनुसंधान जारी है	धारा 153A, 504, 505, 506, 120 B IPC
13	NA	FIR No. 170/2023 पुलिस थाना मोठपुर जिला बारां	प्रकरण में अनुसंधान जारी है	143, 283, 336, 143, 336 IPC
14	NA	FIR No. 403/2023 पुलिस थाना छबड़ा जिला बारां	प्रकरण में अनुसंधान जारी है	143, 332, 353, 283 IPC
15	NA	FIR No. 308/2023 पुलिस थाना जीआरपी जिला बारां	प्रकरण में अनुसंधान जारी है	145, 147 रेल्वे अधिनियम
16	NA	FIR No. 277/2023 पुलिस थाना अटरु जिला बारां	प्रकरण में अनुसंधान जारी है	147, 148, 149, 506, 268, 188, 189, 285, 504, 505, 283 IPC
17	जिला एवं सेशन न्यायालय बारां 97/2025	FIR No. 158/2023 पुलिस थाना हरनावदा शाहजी जिला बारां	न्यायालय में विचाराधीन है	332, 353 IPC
18	JM अटरु 215/2021	FIR No. 148/2020 पुलिस थाना कवाई जिला बारां	न्यायालय में विचाराधीन है	147, 188, 332, 353, 269, 270, 271, 504, 506, IPC व 3 PDP एक्ट 5/6 राजस्थान महामारी अधिनियम 2020
19	NA	FIR No. 160/2023 पुलिस थाना बापचा जिला बारां	प्रकरण में अनुसंधान जारी है	332, 353, 143, 188, 427 IPC
20	ACJM-2 जयपुर मेट्रो-1 18575/2024	FIR No. 337/2023 पुलिस थाना गांधीनगर जयपुर जिला जयपुर	न्यायालय में विचाराधीन है	171F, 323, 341, 504, 506, 341, 323, 504, 506, 117 F, IPC
21	ACJM-2 जयपुर मेट्रो - 2 3968/2014	FIR No. 533/2011 पुलिस थाना गांधीनगर जयपुर जिला जयपुर	न्यायालय में विचाराधीन है	336, 109, 120B IPC 3/25, 5/28 आर्मस एक्ट
22	JM अटरु जिला बारां 273/2017	FIR No. 197/2016 पुलिस थाना मोठपुर जिला बारां	न्यायालय में विचाराधीन है	353, IPC

(ख) आपराधिक मामलों के लिए दोष सिद्ध के मामलों के संबंध में विवरण

क्र.सं.	न्यायालय का नाम एवं आदेश (शो) की तारीख (खें)	अपराध (अपराधों) और अधिरोपित दण्ड का विवरण	अधिकतम अधिरोपित दंड
1	ACJM - 6 जयपुर मेट्रो प्रथम 868 / 2004 31-03-2006	283 IPC, 3PO का लाभ देकर प्रताड़ित कर रिहा (बरी) किया गया	3PO का लाभ देकर प्रताड़ित कर रिहा (बरी) किया गया

राज्य सभा के निर्वाचन या विधानसभा सदस्यों द्वारा विधान परिषद के निर्वाचन के मामले में, निर्वाचन क्षेत्र के नाम के स्थान पर संबंधित निर्वाचन का उल्लेख करें।

नरेश कुमार मीणा
प्रत्याशी, अन्ता - 193

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांकः-एफ-15/कृ.भू.रू./2025/1329 **विज्ञप्ति** दिनांकः-31.10.2025

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम बालिता में स्थित कृषि भूमि योजना मेपाल पार्क खसरा नं. 233 में स्थित भूखंड संख्या 27 आवेदक/आवेदिका श्रीमती मांगी बाई पत्नी श्री भगवान निवासी 32 करणी नगर विकास समिति के पास गोरधनपुरा कोटडी कोटा द्वारा ऑन लाईन नाम हस्तान्तरण हेतु प्राधिकरण कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूखंड का पट्टा क्रमांक 222 दिनांक 11.03.2022 को शंकर लाल सुमन पुत्र श्री भैरुलाल सुमन के पक्ष में जारी किया गया था। पट्टाधारी द्वारा उक्त भूखंड का बैचान जर्ये रजि. विक्रय पत्र दिनांक 18.05.2022 को श्री दिनेश योगी पुत्र श्री श्रीलाल योगी के पक्ष में किया गया है। जिसका नाम हस्तान्तरण ऑन लाईन आदेश क्रमांक UIT-KOTA/FY23-24/MUT/473 दिनांक 25.05.2023 से जारी किया गया। श्री दिनेश योगी द्वारा उक्त भूखंड का बैचान जर्ये रजि. विक्रय पत्र दिनांक 25.02.2025 से जर्ये मुख्तारआम श्री दीपक विजय पुत्र श्री अमृत लाल विजय द्वारा आवेदिका के पक्ष में किया गया है।

अतः श्रीमती मांगी बाई पत्नी श्री भगवान के पक्ष में नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कार्यालय नगर निगम, कोटा-दक्षिण, कोटा, राजस्थान

क्रमांकः-ननिको/जोन-द्वितीय/भ.नि.अनु./2025/1286 दिनांकः 01.11.25

भू-उपयोग परिवर्तन बाबत सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती प्रभा जैन पत्नी श्री आर.के. जैन, श्री राहुल बिरला पुत्र श्री राजेश बिरला, श्रीमती सूरज बिरला पत्नी श्री राजेश कृष्ण बिरला, श्री मन्जू बिरला पत्नी श्री बाल कृष्ण बिरला निवासी आवास संख्या 2-न-12 दादाबाड़ी कोटा (राज.) ने नगर निगम कोटा दक्षिण में आवेदन प्रस्तुत कर भूखंड संख्या 9-जी-8 महावीर नगर तृतीय कोटा क्षेत्रफल 348.46 वर्गमीटर का आवासीय से डे-केयर सेन्टर प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन करने का निवेदन किया है। भूखंड संख्या 9-जी-8 महावीर नगर तृतीय कोटा क्षेत्रफल 348.46 वर्गमीटर का स्वामित्व कार्यालय नगर निगम कोटा के आदेश क्रमांकः- 65 दिनांक 08.03.2016 से श्रीमती प्रभा जैन पत्नी श्री आर.के. जैन, श्री राहुल बिरला पुत्र श्री राजेश बिरला, श्रीमती सूरज बिरला पत्नी श्री राजेश कृष्ण बिरला, श्री मन्जू बिरला पत्नी श्री बाल कृष्ण बिरला के नाम हस्तांतरित किया गया।

आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम कोटा दक्षिण में उक्त भूखंड का आवासीय से डे-केयर सेन्टर प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन करने की कार्यवाही की जा रही है। उक्त भूखंड